

लोक सूचना अधिकार संख्या 40/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व० श्री मगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर वनाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सर्त०), श्रीगंगानगर



10-01-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 29.12.15 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर से सूचनाएं चाही गयी थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया जावे।

मैंने अपीलार्थी के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 29.12.15 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थी:-

1. आपका पत्रांक 608 दिनांक 18.01.2015 सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, कलेक्टर, श्रीगंगानगर प्रार्थी को 28.12.2015 को शाम 5 बजे प्राप्त हुआ है अतः पत्र प्रेषण पत्रिका में पत्र अंकित करने के उपरान्त जिस दिवस, जिस संचार माध्यम से प्रेषित किया गया, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपी।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।
3. पत्र प्रेषण रजिस्टर में पत्र संख्या दर्ज होने के उपरान्त उपरोक्त पत्रांक जिस अधिकारी। कर्मकार के पास रहा उसका नाम व पद की सूचना।
4. पत्र प्रेषण लिपिक जिस अधिकारी के अधिनस्थ कर्तव्यों का पालन करवाये उसका नाम व पद की सूचना।
5. लोक सेवा गारंटी अधिनियम व अन्य विभागीय नियमों के अन्तर्गत जो समय पत्र संख्या अंकित करने के उपरान्त संचार माध्यम से प्रेषण हेतु भेजने के लिए अनुमत किया गया है उस समय की सूचना व विभागीय नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपी।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी, कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा अपने जबाब सं० 471 दि० 10.03.2016 के साथ अपीलार्थी को दिये गये उत्तर क्रमांक 08 दिनांक 05.01.2016 की प्रति के अवलोकन से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है:-

क्र.सं.	चाही गयी सूचना	जवाब
1.	आपका पत्रांक 608 दिनांक 18.12.2015 सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ कलेक्टर श्रीगंगानगर प्रार्थी को दिनांक 28.12.2015 को सायं 5 बजे प्राप्त हुआ है अतः पत्र प्रेषण पत्रिका में पत्र अंकित करने के उपरान्त जिस दिवस, जिस संचार माध्यम से प्रेषित किया गया है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपी	पत्रांक 608 दिनांक 18.12.2015 इस प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक 18.12.2015 को ही डिस्पेच शाखा में प्रेषित कर दिया गया था। प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु एक पृष्ठ के 2 रुपये शुल्क जमा कराये।

21/11/17  
जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर

P-T

		-2- अपील सूचना अधिकार संख्या 40/2016
2.	पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना	पत्र सहायक निदेशक अभियोजन को भेजा गया है उनके द्वारा कार्यवाही की जावेगी।
3.	पत्र प्रेषण रजिस्टर में पत्र संख्या दर्ज होने के उपरान्त उपरोक्त पत्रों जिस अधिकारी/कर्मकार के पास रहा उसका नाम व पद की सूचना।	उक्त पत्र डिस्पेच शाखा के कर्मी श्री उमाशंकर मीणा के पास पैंडिंग रहा। उमाशंकर मीणा द्वारा उक्त पत्र दिनांक 18.12.2015 को ही डाक द्वारा सम्प्रेषित कर दिया गया। इस कार्यालय द्वारा उक्त पत्र दिनांक 18.12.2015 को सामान्य शाखा डिस्पेच में भिजवा दिया गया था जहां से उसी दिन डिस्पेच शाखा द्वारा डाक विभाग को प्रेषित कर दिया गया। दिनांक 19.12.2015, 20.12.2015 व 24.12.2015 से 27.12.2015 तक अवकाश होने के कारण उक्त पत्र डाक विभाग में रहा।
4.	पत्र प्रेषण लिपिक जिस अधिकारी के अधीनस्थ कर्तव्यों का पालन करता है उसका नाम व पद की सूचना।	अति. जिला कलेक्टर(सतर्कता) प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा
5.	लोक सेवा गारंटी अधिनियम व अन्य विभागीय नियमों के अंतर्गत जो समय पत्र संख्या अंकित करने के उपरांत संचार माध्यम को प्रेषण हेतु भेजने के लिए अनुमूत किया गया है उस समय की सूचना व विभागीय नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपि।	प्रति संलग्न है

अपीलार्थी द्वारा अपने उक्त प्रा0 पत्र में कुल 5 बिन्दुओं की सूचना चाही थी जिसका बिन्दुवार उत्तर लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र दिनांक 05.01.2016 से दिया है। जबकि अपीलार्थी ने अपनी अपील दिनांक 26.02.16 में सूचनाओं से माह्रूम होना बताया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है। फिर भी लोक सूचना अधिकारी ने सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को देखते हुए अपीलार्थी को बिन्दुवार सूचना तैयार कर उत्तर दिया है जो सही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। बिन्दु सं0 1 की सूचना के लिए 2रुपये फीस जमा करवाने के लिए लिखा गया है जो वह जमा करवाकर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय उपलब्ध किसी निश्चित अभिलेख का निरीक्षण कर उसमें से कोई प्रतिलिपि लेना चाहे तो उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीव तकमिल दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 10.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( ज्ञाना राम )  
जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर

217-18  
25-1-17